दो तीन महीनों के लिए प्रति मास 1.5 लाख मी० टन गेहूं का आवंटन करने के लिए सितम्बर, 89 में अनुरोध प्राप्त हुआ था । इसके मुकाबले इस राज्य को सितम्बर से जनवरी, 1990 के महीनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

माह	आवंटन ('000 मी०टन में)
सितम्बर, 89	100.0
अक्तूबर,89	125.0
नवम्बर, 89	150.00
दिसम्बर, 89	100.0
जनवरी, 90	100.0

खाद्य तेल : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मांग, खुले बाजार में देशी तेलों की उपलब्धता और मूल्यों, सरकार के पास तेल के भंडारों और संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है । इस आवंटन का उद्देश्य उचित मूल्यों पर देशी खाद्य तेलों की कमी को पूरा करना है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं है ।

इस समय महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेल में से 6,500 मी० टन का आवंटन किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए समस्त आवंटन का एक बड़ा हिस्सा है ।

महाराष्ट्र में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) के कोटे में वृद्धि

111. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि मई, 1989 में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) की कीमतों में वृद्धि हुई है जिसके कारण खुली बिक्री की चीनी की सप्लाई में कमी आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सरकार से निवेदन किया है कि पर्याप्त मात्रा में खुली बिक्री की चीनी की पूर्ति महाराष्ट्र सरकार को समय रहते की जाए जिससे कि खुले बाजार में बढ़ती हुई कीमतें रोकने में मदद मिले ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन देश में चीनी के किसी भी लाइसेंसशुदा थोक व्यापारी को बिक्री करने के लिए फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की जाती है । मास के दौरान पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और मौसम के लिए समूची स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मई, 1989 के महीने के लिए मासिक मुक्त बिक्री का 5 लाख मीटरी टन स्वदेशी चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया था जबकि मई, 1988 में 4.50 लाख मीटरी टन का कोटा निर्मुक्त किया गया था ।

तथापि, मई, 1989 में महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए 500 मीटरी टन मुक्त बिक्री की आयातित चीनी निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया था । उस समय विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मामूली बचे स्टाक तक ही आयातित चीनी के आवंटन को सीमित रख गया था । अतः भारतीय खाद्य निगम के पास महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध 23 मीटरी टन आयातित चीनी की थोड़ी मात्रा नियंत्रित माध्यमों से बिक्री करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सुहैया की गई थी ।

Manufacture of Electronic Goods in the Country

112. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be plsased to state;